

आशिक खान बनाम सरकार
प्रकरण संख्या 459/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुये

3/6/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार व जबाब स्टेट प्राप्त हुए। साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम आशिक खान पुत्र फकीरा है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 6 आरडब्ल्यूएम के खाता सं. 4 के प.नं. 164/420(2) कि.नं. 6/1, 6/2, 7, 8, 12/1, 13, 14, 15/1, 15/2 की कुल 1.700 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम आसफखां पुत्र फकीरा के स्थान पर आशिक खान पुत्र फकीरा दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...12.6.2025...को सरे ईजलास सुनाया गया।

01
सहायक क्लर्क एड
सुपरगण्ड अधिकारी
खयतसर

